रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236126 CG-DL-E-31052022-236126

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2326] No. 2326] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISTHA 9, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2453(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून, 2022 को उस तारीख के रूप में नियम करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध अर्थात्,-

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अघ्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अघ्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

असम राज्य के बजाली जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/02/2022-एस.एस-l]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

3592 GI/2022 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

S.O. 2453(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI;

shall come into force in all the areas of Bajali district in the State of Assam.

[F. No. .S-38013/02/2022-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.